भाग – II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7	परियोजना	जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेला 2019 के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 (कानपुर–इलाहाबाद) के किमी0 185.800 से 194.000 (बेगम बाजार से चौफटका) तक मार्ग के दोनो ओर सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	**उत्तर प्रदेश**
(ii)	जिला	**इलाहाबाद**
(iii)	वनप्रभाग	**इलाहाबाद वन प्रभाग**
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	6.4180 हे0
(v)	वन कानून स्थिति	संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 भी संलग्न किए जायें।	संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूमि सड़क के किनारे की समतल जमीन है। भूक्षरण हेतु संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन भूमि
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उधान वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भाग–1 कलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	6.4180 हे0 संरक्षित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ /नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है ?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	संलग्न है
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की सं0, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	–
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्षाया मैप ।	–
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	–
(iv)	प्रतिपूरक स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।	–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारें में और प्रबंधकीय दृष्टिकोंण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताखरित किया जाये)	–
11	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 **(vi, vii)** 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग /जिला प्रोफाईल	वन विभाग
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	528900.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	21564.642 हे0
(iii)	मामलों की सं0 सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	1–199.79 हे0 (R.F. 4 मामले) 2–25.855 हे0 (P.F. 14 मामले)
(iv)	1980 से जिला / विभाग में निर्धरित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	297.27 हे0
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	40.665 हे0
ख	वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे0
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	297.27 हे0
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	40.665 हे0
ख	वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 12.7.2018
स्थान : इलाहाबाद

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 प्रभाग, इलाहाबाद